राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1468/2021

सतीश चन्द **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, गृह विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. महानिदेशक पुलिस, पुलिस मुख्यालय, टोंक रोड़, जयपुर।
3. आयुक्त, आयुक्तालय जयपुर, गर्वमेंट हॉस्टल, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 03.03.2021
आदेश की दिनांक : 29.10.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री धीरज गुप्ता, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : राजकीय प्रभारी अधिकारी

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि रिक्ति वर्ष 2010–11 के विरूद्ध सहायक उप निरीक्षक से उप निरीक्षक के पद पर अपीलार्थी को योग्य घोषित करते हुये समस्त पारिणामिक लाभ एवं दिनांक 01 अप्रेल, 2010 से उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति की वरिष्ठता का लाभ प्रदान करते हुये समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 23.12.1991 को कांस्टेबल के पद पर हुई थी और उसे वर्ष 2006 में हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत किया गया तथा आदेश दिनांक 25.10.2010 के द्वारा सहायक उप निरीक्षक के पद पर रिक्ति वर्ष 2009–10 के विरूद्ध पदोन्नत

किया गया। अपीलार्थी की हमेशा संतोषजनक सेवायें रही हैं और उसका कार्य हमेशा सराहनीय रहा है। अपीलार्थी जांच टीम में सदस्य था, जिसे कई तरह के अवार्ड भी दिये गये हैं। अपीलार्थी द्वारा माननीय अधिकरण के समक्ष रिक्ति वर्ष 2010–11 के विरूद्ध उप निरीक्षक के पद पर उसके नाम पर विचार करने हेतु अपील प्रस्तुत की। चूंकि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त पद के विरूद्ध अपीलार्थी के नाम पर विचार नहीं किया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी जब सहायक उप निरीक्षक के पद पर पुलिस थाना खोह नागोरिया में पदस्थापित था। उस दौरान पुलिस आयुक्त, जयपुर मिस्टर जंगा श्री निवास राव ने कार्य को देखा और उस समय अपीलार्थी अपनी पारिवारिक समस्याओं के कारण दौड़ आदि में असफल रहा परंतु अपीलार्थी कार्यालय पुलिस महानिदेशक में जाकर मिला और स्थानांतरण बाबत् अनुरोध किया। आदेश दिनांक 29.01.2014 जो पुलिस आयुक्त मिस्टर जंगा श्री निवास राव द्वारा अपीलार्थी को हैरान व परेशान करने के आशय से निलंबित कर दिया गया। जिसके संबंध में प्राथमिक जांच करने हेतु उपायुक्त को पत्र दिनांक 11.02.2014 लिखा गया और दिनांक 13.02.2014 को सहायक पुलिस आयुक्त को प्राथमिक जांच करने हेतु पत्र लिखा गया और दिनांक 31.03.2014, 26.05.2014, 09.06.2014 एवं 01.07.2014 को पुनः सहायक पुलिस उपायुक्त को लंबित जांच पूर्ण करने हेतु पत्र लिखे गये और आदेश दिनांक 05.06.2014 के द्वारा अपीलार्थी को मुख्यालय पुलिस लाईन, जयपुर से पश्चिम जयपुर स्थानांतरण किया गया। दिनांक 02.07.2014 को लंबित जांच प्रस्तुत की गई और जिसमें अपीलार्थी के विरूद्ध न तो कोई शिकायत पायी गई और न ही कोई अनियमितता मिली और जिससे पुलिस आयुक्त श्री जंगा ने पत्र दिनांक 22.07.2014 के द्वारा असंतोषजनक जांच पाये जाने पर पुनः जांच के आदेश दिये और रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया, जिसके संबंध में पुलिस आयुक्त ने सहायक पुलिस आयुक्त को निर्देशित करते हुये अपीलार्थी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में कई पत्र लिखे गये तथा अपीलार्थी की एसीआर पर भी प्रतिकूल प्रविष्टि की गई। दिनांक 30.09.2015 को एएसआई से एसआई के पद पर पदोन्नति वर्ष 2012–13 में पदोन्नति परीक्षा के लिये विज्ञापन जारी किया गया, जिसमें योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गये तथा अपीलार्थी ने भी आवेदन किया, जिसके क्रम में अपीलार्थी लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित हुआ और अपीलार्थी लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ तथा आउटडोर एवं फिटनेस परीक्षा के लिये अपीलार्थी के नाम की अभिशंषा की गई, जो दिनांक 17.12.2015 को आयोजित की गई तथा दिनांक 22.12.2015 को सफल अभ्यर्थियों

की सूची कार्यालय पुलिस आयुक्त द्वारा जारी की गई। परंतु अपीलार्थी का नाम सफल अभ्यर्थियों में अंकित नहीं था। उनका कथन है कि पुलिस आयुक्त मिस्टर जंगा ही उस चयन बोर्ड के अध्यक्ष थे। अपीलार्थी उक्त उपायुक्त के समक्ष उपस्थित हुआ और प्रतिकूल प्रविष्टि को हटाने के संबंध में अनुरोध किया, परंतु अपीलार्थी की पदोन्नति के संबंध में कोई विचार नहीं किया गया। दिनांक 10.03.2016 को विस्तृत जांच रिपोर्ट आधार पर पुलिस आयुक्त श्री संजय अग्रवाल द्वारा अपीलार्थी की जांच को ड्रॉप किये जाने के निर्देश देते हुये उसे निलंबन से बहाल करते हुये समस्त देय वेतन आदि का लाभ भुगतान करने हेतु आदेश जारी किया गया और उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति परीक्षा वर्ष 2014–15 के लिये आवेदन मांगे गये, जिसमें अपीलार्थी ने आवेदन किया और अपीलार्थी लिखित परीक्षा में उपस्थित हुआ तथा उत्तीर्ण हुआ और आउटडोर परीक्षा/फिटनेस परीक्षा के लिये उसके नाम पर अभिशंषा की गई तथा दिनांक 02.09.2016 को सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी भी सफल घोषित हुआ। चूंकि उक्त चयन बोर्ड के अध्यक्ष पुलिस आयुक्त श्री संजय अग्रवाल थे और इस प्रकार तत्कालीन पुलिस आयुक्त श्री जंगा द्वारा अपीलार्थी को हैरान व परेशान करने के आशय से अपीलार्थी के साथ अन्याय व दुर्व्यवहार करते हुये उसे पदोन्नति परीक्षा वर्ष 2012–13 में जानबूझकर असफल घोषित किया गया। जबकि अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2014–15 में निम्नलिखित अंक प्राप्त किये गये :–

विषय	अधिकतम अंक	वर्ष 2012–13 में प्राप्तांक	वर्ष 2014–15 में प्राप्तांक
SQUAD DRILL (PERS. PERFOM)	10	1	4
SQUAD DRILL (INST. ABILITY)	10	2	4
RIFLE EXERCISE (PER. PERF.)	5	1	2
RIFLE EXERCISE (INSTR. AVA.)	5	1	2
KNOW. & HANDLING OF WEAPON	20	6	12
TEAR GAS	5	1	3
EXPLOSIVE	10	2	4
RIOT DRILL	5	2	3
LIFTING OF FOOT PRINT & FINGER PRINT	10	4	4
PT	5	2	3
RUN	15	15	15
TOTAL MARKS	**100**	**37**	**56**
REMARKS		**FAIL**	**PASS**

अपीलार्थी ने उक्त मामले के संबंध में अनेकोबार अभ्यावेदन प्रस्तुत किये, परंतु तत्समय अपीलार्थी के अभ्यावेदनों पर पुलिस आयुक्त द्वारा कोई विचार नहीं

किया गया और दिनांक 07.01.2021 को विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जो अपीलार्थी की उचित वरिष्ठता रिक्ति वर्ष 2010–11 के विरूद्ध प्रदान किये जाने के संबंध में निवेदन किया गया। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई विचार नहीं किया गया। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 19138/2015 रूपचंद व अन्य बनाम राजस्थान पुलिस महानिदेशक व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.02.2016 जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि यदि कार्मिक को जिस रिक्ति वर्ष के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की गई है, उसे उसी रिक्ति वर्ष के विरूद्ध पदोन्नति मानी जायेगी। पदोन्नति आदेश भले ही विलम्ब से जारी किया गया हो और इस प्रकार अपीलार्थी को सहायक उप निरीक्षक के पद पर रिक्ति वर्ष 2009–10 के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की गई है और एक वर्ष बाद रिक्ति वर्ष 2010–11 के विरूद्ध अपीलार्थी उप निरीक्षक के पद के लिये पदोन्नति योग्य है। परंतु अपीलार्थी को वर्ष 2010–11 के विरूद्ध उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान नहीं की गई है। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का यह भी कथन है कि अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिकों को वर्ष 2012–13 में उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है और उन्हें उक्त पद की रिक्ति वर्ष 2010–11 आवंटित की गई है, जबकि अपीलार्थी को उक्त वरिष्ठता से वंचित रखा गया है, जिससे अपीलार्थी की वरिष्ठता पर प्रतिकूल प्रभाव पडा और अपीलार्थी अपने से कनिष्ठ कार्मिकों से कनिष्ठ हो गया है, जो नियम एवं विधि के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि रिक्ति वर्ष 2010–11 के विरूद्ध सहायक उप निरीक्षक से उप निरीक्षक के पद पर अपीलार्थी को योग्य घोषित करते हुये समस्त पारिणामिक लाभ एवं दिनांक 01 अप्रेल, 2010 से उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति की वरिष्ठता का लाभ प्रदान करते हुये समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से राजकीय प्रभारी अधिकारी ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी वर्ष 2009–10 के विरूद्ध सहायक उप निरीक्षक के पद पर दिनांक 23.06.2010 से पदोन्नत किया गया और उस समय अपीलार्थी उप निरीक्षक के पद के लिये नियमानुसार योग्य नहीं था। अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत रिक्ति वर्ष 2010–11 के विरूद्ध उप निरीक्षक के पद पर योग्य होने के संबंध में सूचना ली। अपीलार्थी ने तत्कालीन पुलिस उपायुक्त श्री जंगा के विरूद्ध व्यक्तिगत रूप से आरोप लगाया,

जो उचित नहीं है। अपीलार्थी लिखित परीक्षा में रिक्ति वर्ष 2012–13 के विरूद्ध उत्तीर्ण हुआ, परंतु शारीक्षिक दक्षता आदि में उत्तीर्ण नहीं हो सका और इस प्रकार अपीलार्थी अयोग्य घोषित हुआ तथा रिक्ति वर्ष 2014–15 के विरूद्ध अपीलार्थी उप निरीक्षक के पद के लिये सफल घोषित होने पर अपीलार्थी को पदोन्नति प्रदान की गई और इस प्रकार नियमानुसार अपीलार्थी वर्ष 2012–13 के विरूद्ध सफल घोषित नहीं होने पर उसे उक्त रिक्ति वर्ष के विरूद्ध उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति से वंचित किया गया, जो नियमानुसार किया गया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 23.12.1991 को कांस्टेबल के पद पर हुई थी और उसे वर्ष 2006 में हैड कांस्टेबल के पद पर एवं आदेश दिनांक 25.10.2010 के द्वारा सहायक उप निरीक्षक के पद पर रिक्ति वर्ष 2009–10 के विरूद्ध पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी के विरूद्ध जांच लंबित थी, जो बाद में पुलिस आयुक्त जयपुर के आदेश दिनांक 10.03.2016 द्वारा लंबित जांचों को ड्रॉप करते हुये समस्त प्रयोजनार्थ लाभ दिये गये तथा अपीलार्थी रिक्ति वर्ष 2014–15 के विरूद्ध पुलिस उप निरीक्षक के पद पर सफल घोषित होने पर उसे पदोन्नति प्रदान की गई। जहां तक अपीलार्थी को वरिष्ठता का लाभ दिनांक 01 अप्रेल, 2010 से न देते हुये एवं उसे पुलिस उप निरीक्षक के पद पर रिक्ति वर्ष 2010–11 के विरूद्ध घोषित न किये जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2009–10 के विरूद्ध सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है। यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी स्नातकोत्तर योग्यताधारी है, जो सेवा अभिलेख में दर्ज है और उक्त योग्यता होने के कारण राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के शेड्यूल 1 में उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये सहायक उप निरीक्षक के पद का एक वर्ष का अनुभव यदि कार्मिक स्नातक है तो, आवश्यक है। अपीलार्थी स्नातकोत्तर योग्यताधारी है और इस प्रकार उक्त नियमों के आधार पर पुलिस उप निरीक्षक के पद के लिये पदोन्नति हेतु सहायक उप निरीक्षक के पद का एक वर्ष का अनुभव अनिवार्य है। चूंकि अपीलार्थी सहायक उप निरीक्षक के पद पर रिक्ति वर्ष 2009–10 के विरूद्ध पदोन्नत हुआ और इस प्रकार अपीलार्थी

नियमानुसार पुलिस उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये रिक्ति वर्ष 2010–11 में योग्य था।

इस प्रकार उक्त मामले के संबंध में विचारणीय बिंदु निम्नलिखित हैं :–

1. जहां तक अपीलार्थी रिक्ति वर्ष 2010–11 के विरूद्ध पुलिस उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु योग्य नहीं पाये जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि अपीलार्थी पुलिस उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु रिक्ति वर्ष 2012–13 में योग्य हुआ। दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2009–10 के विरूद्ध सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई, परंतु पदोन्नति आदेश प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 25.10.2010 को जारी किया गया। जबकि अपीलार्थी को उक्त पदोन्नति रिक्ति वर्ष 2009–10 के विरूद्ध प्रदान की गई है। विलम्ब से जारी किये जाने के आदेश के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 19138/2015 रूपचंद व अन्य बनाम पुलिस महानिदेशक राजस्थान व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.02.2016 में निम्नलिखित आदेश पारित किया है :–

> *"In view of the above, all the writ petitions are allowed with the following directions :*
>
> *(i) the respondents are directed to count experience as on 01st April of the year of qualifying examination for promotion and if any of the petitioners have completed the required experience as on 01st April of the year of qualifying examination, then to be held eligible for promotion. It is by taking correct interpretation of Rule 26 (4) of the Rules of 1989.*
>
> *(ii) If any of the petitioners are not falling in the category given above and is working in Jaipur city/Rural then taking into consideration the delay in holding promotion to the post of Head Constable or ASI, the respondents are directed to pass on the benefits to the petitioners because delay in holding DPC cannot be to the detriment of the rights of the petitioners. It is moreso when after constitiution of Committee on 08th December, 2010, promotions were made throughout the State leaving Jaipur.*

(iii) The delay in making promotion to the lower post should not be to the detriment of the rights of the petitioners, rather their experience would be counted without discrimination as per the decision dated 26th October, 2013.

(iv) The petitioners have already appeared in the qualifying examination held by the respondents and it has been conducted in this year, thus their result would be declared after governing their candidature by the directions given above and if anyone qualifies, then consideration of the candidature would be made for promotion to the higher post in accordance to the Rules and if they are found eligible, then would be given promotion to the higher post of ASI or SI, as the case may be."

इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा डी.बी. सिविल स्पेशल अपील (रिट) संख्या 309/1998 गोकुल सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में रिपोर्टेबल आदेश दिनांक 07.11.2001 में निम्नलिखित आदेश पारित किया है :–

"Rajasthan Police Subordinate Service Rules, 1989, Rr. 27, 28, 35, 36 - Promotion - Date of effectivity - Promotion against quota of 1991-92 - Promotion subject to passing of promotion cadre post - Promotion - Petitioner clearing Promotion Cadre Test - Petitioner must be considered as promoted in year 1991-92 and entitiled to benefits for whole period thereafter even if test was cleared in 25.2.1993 - Promotion must relate back to year 1991-92."

राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 26 में भी 01 अप्रेल से ही रिक्तियों का निर्धारण एवं पदोन्नति वर्ष के संबंध में प्रावधान किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त न्यायिक विनिश्चयों एवं नियमों के आधार पर अपीलार्थी रिक्ति वर्ष 2009–10 के विरूद्ध सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया और चूंकि अपीलार्थी स्नातकोत्तर योग्यताधारी है और इस प्रकार पुलिस उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये सहायक उप निरीक्षक के पद का मात्र एक वर्ष का अनुभव अनिवार्य है। इस प्रकार अपीलार्थी रिक्ति वर्ष 2010–11 के विरूद्ध पुलिस उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति योग्य था। परंतु

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त रिक्ति वर्ष के विरूद्ध उक्त पद पर अपीलार्थी के नाम पर विचार नहीं किया जाना न्यायोचित प्रकट नहीं होता है।

2. जहां तक अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिकों को रिक्ति वर्ष 2010–11 के विरूद्ध पुलिस उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किये जाने एवं अपीलार्थी के नाम पर उक्त रिक्ति वर्ष के विरूद्ध विचार नहीं किये जाने का प्रश्न है, पदोन्नति आदेश दिनांक 01.12.2014 के अवलोकन से स्पष्ट है कि कार्मिक श्री ताराचंद, श्री महेश चन्द एवं अन्य जिनको सहायक पुलिस उप निरीक्षक के पद पर रिक्ति वर्ष 2010–11 के विरूद्ध पदोन्नति दी गई थी और अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2009–10 के विरूद्ध सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया था, जो अपीलार्थी से कनिष्ठ होने के बावजूद भी उन्हें पुलिस उप निरीक्षक के पद पर रिक्ति वर्ष 2012–13 के विरूद्ध पदोन्नत कर दिया गया है, जो आदेश दिनांक 10.08.2016 से स्पष्ट होता है। जबकि अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2010–11 के विरूद्ध पुलिस उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति से वंचित रखा गया, जबकि अपीलार्थी रिक्ति वर्ष 2010–11 के विरूद्ध पुलिस उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति योग्य था। आदेश दिनांक 07.12.2023 के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक श्री ताराचंद एवं महेश चन्द व अन्य जो अपीलार्थी से वरिष्ठता में कनिष्ठ होने के बावजूद भी उन्हें पुलिस उप निरीक्षक एवं पुलिस निरीक्षक के पदों पर पदोन्नतियां प्रदान कर दी गईं, परंतु अपीलार्थी उक्त कार्मिकों से वरिष्ठ होते हुये भी उसे न तो पुलिस उप निरीक्षक के पद की उचित वरिष्ठता प्रदान की गई है और न ही उसे पुलिस निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है, जो उक्त विधि एवं नियमों के विपरीत है।

3. जहां तक अपीलार्थी के विरूद्ध जांच लंबित होने के कारण अनावश्यक रूप से पदोन्नति आदि के संबंध में विचार नहीं किये जाने का प्रश्न है, पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के विरूद्ध चल रही जांच के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई अनियमितता, शिकायत, कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाही नहीं पाये जाने का प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत जवाब में कोई उल्लेख नहीं किया गया है तथा लंबित जांच को ड्रॉप कर अपीलार्थी को समस्त लाभ दिये गये और नियमानुसार उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु अपीलार्थी योग्य पाये जाने पर उसे रिक्ति वर्ष

2014–15 के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की गई। जबकि हमारे मत में अपीलार्थी रिक्ति वर्ष 2010–11 के विरूद्ध पुलिस उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति योग्य था, जो विभाग द्वारा अपीलार्थी को उक्त रिक्ति वर्ष के विरूद्ध उक्त पद पर पदोन्नति से वंचित रखा गया, जो नियम विरूद्ध है। इस प्रकार अपीलार्थी रिक्ति वर्ष 2010–11 के विरूद्ध पुलिस उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः उपरोक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 19138/2015 रूपचंद व अन्य बनाम पुलिस महानिदेशक राजस्थान व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.02.2016 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा डी.बी.सिविल स्पेशल अपील (रिट) संख्या 309/1998 गोकुल सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में रिपोर्टेबल आदेश दिनांक 07.11.2001 को तथा नियमों को ध्यान में रखते हुये रिक्ति वर्ष 2010–11 के विरूद्ध अपीलार्थी को पुलिस उप निरीक्षक के पद पर योग्य मानते हुये उचित वरिष्ठता प्रदान की जावे तथा तदुपरांत अग्रिम पदोन्नतियों पर अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिकों से पूर्व अपीलार्थी की नियमानुसार उचित वरिष्ठता निर्धारित करते हुये उसे अग्रिम पदों पर भी पदोन्नति प्रदान की जावे। साथ ही यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को उसी तिथि से समस्त परिलाभ प्रदान किये जावें, जिस तिथि से उससे कनिष्ठ कार्मिकों को वेतन आदि का समस्त लाभ प्रदान किया गया है। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन माह में सुनिश्चित किया जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य